

# शिक्षा व्यवस्था में नई नीति की आवश्यकता

**\*Manoj Kumar Ahir \***

Lecturer ,Shikhar Teacher Training Institute,Nimach (M.P.)

## सारांश :

किसी भी देश की प्रगति में उस देश की शिक्षा योजना पर निर्भर करती है। आधुनिक समय की मांग के अनुसार शिक्षा योजना में परिवर्तन करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक है। आज नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। इसी बिन्दु को लेकर लेखक ने कई प्रश्न उठाये हैं जिनका विवरण आलेख में उल्लेखित है।

स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद विदेश में स्कूली शिक्षा को पटरी पर नहीं लाया जाना बेहद चिंताजनक विषय है। शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है क्योंकि योजना बनाने और उसे लागू करने के बीच बहुत बड़ी खाई है। 30-35 छात्रों पर एक शिक्षक की सिफारिश इन योजनाओं में की गई है किंतु यह मात्र सिफारिशें बनकर रह गई। आज भी बड़ी संख्या में विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं और योग्य व्यक्तियों के होते हुए सरकार इन पदों पर नियुक्तियां नहीं करना चाहती है। जो भी सरकार आती है वह बस नाम मात्र वेतन पर अस्थायी शिक्षक रखती है।

यहां हम विश्व के कुछ विकसित देशों की बात करें तो उनकी प्रगति में शिक्षा योजनाओं की अहम भूमिका है। नई तकनीक को अपनाकर नए संसाधनों के द्वारा शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन कर यह देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अमेरिका में स्कूली आयु के हर बच्चे को निकटवर्ती स्कूल में भर्ती करवाना कानूनन अनिवार्य है जिसके लिए उसे निशुल्क बस सेवा मुफ्त या केवल प्रतीक मात्र दर पर लंच फील्ड ट्रीप्स और कई सुविधाएं उपलब्ध है। शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान है। छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति, अच्छा वेतन, आधुनिक संसाधन तथा शासन का नियंत्रण आदि वहां की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं हैं।

वर्तमान में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। हम आज भी 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार चल रहे हैं जबकि इन 30 वर्षों में देश की आर्थिक, सामाजिक स्थिति में बहुत बदलाव आ चुका है। आधुनिक कक्षा में डिजिटल संसाधनों से शिक्षा देना, बच्चों की पीठ के वजन को कम करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, शिक्षकों को अच्छा प्रशिक्षण देना आदि ऐसे कदम हैं जो उठाए जाने अत्यंत आवश्यक हैं। समय की मांग के अनुसार प्रत्येक व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए तो फिर शिक्षा व्यवस्था इससे अछूती क्यों ? कहने को तो हमने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू कर दिया है, किंतु क्या इसके अपेक्षित परिणाम हमें मिले हैं ? निशुल्क शिक्षा का दायरा शासकीय विद्यालयों तक सीमित है और शासकीय विद्यालयों की बदहाल व्यवस्था एवं सुविधाओं की कमी के कारण पालक छात्रों का दाखिला वहां नहीं कराते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा की आशा से पालकों का रुख निजी विद्यालयों की ओर हो गया है। यह सर्वविदित है कि निजी विद्यालय सिर्फ व्यवसाय के केंद्र बनकर रह गए हैं, महंगी पुस्तकें भिन्न-भिन्न गणवेश, सहगामी क्रियाओं के नाम पर विभिन्न शुल्क लेकर पालकों पर आर्थिक बोझ डाल दिया जाता है। गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र शासकीय और निजी विद्यालयों के बीच किस कर रह जाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से हमारी सरकारें साक्षरता प्रतिशत तथा पूर्ण नामांकन के बदले हमें सिर्फ कागजी परिणाम मिले हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, वार्षिक स्थिति शैक्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2015 के कुछ आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं, इन आंकड़ों के अनुसार -

1. कक्षा पांचवी के 52% छात्र कक्षा तीसरी की किताब नहीं पढ़ सकता है।
2. कक्षा पांचवी में पढ़ने वाला चार में से एक छात्र गुणा और भाग नहीं कर सकता है।
3. कक्षा पांचवी में पढ़ने वाला चार में से एक छात्र गुणा और भाग नहीं कर सकता है।
4. कक्षा पांचवी के 75% छात्र अंग्रेजी के सामान्य वाक्य नहीं पढ़ पाते हैं।
5. कक्षा तीसरी में पढ़ने वाला हर चार में से एक छात्र 2 अंकों को जोड़ और घटा नहीं पाता।
6. ग्रामीण भारत में कक्षा आठवीं तक के 44% छात्र गुणा और भाग नहीं कर पाते हैं।

ऊपर दिए गए आंकड़े देश की शैक्षिक गुणवत्ता को दर्शा रहे हैं। यह आंकड़े हमारी सरकारों के 70 वर्ष के प्रयासों तथा शिक्षा नीतियों को पूर्णता लागू नहीं करने के परिणाम हैं। इसलिए बदले परिवेश के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन समय की मांग हो गई है।

नई शिक्षा नीति में कुछ बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए,

जो इस प्रकार है :-

1. समूचे देश में शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, अर्थात भारतीय मूल्यों के साथ रोजगार पर शिक्षा सभी को देना होगा।
2. प्रत्येक शिक्षण संस्थान के सभी प्रमुख अंग यथा- शिक्षक, शिक्षार्थी, गैर शैक्षणिक कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से ईमानदार होकर करें।
3. सरकारी और निजी संस्थाओं के स्तर के बीच की दूरी कम करनी होगी।
4. देशभर के स्कूलों में शिक्षा के रिक्त पदों पर नियुक्ति समय पर की जानी चाहिए।
5. देश के महापुरुषों की छवि को सही रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे छात्र प्रेरणा प्राप्त कर सकें।
6. बुनियादी चीजों जैसे भवन, शौचालय, फर्नीचर, पठन सामग्री आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
7. परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर रटाए प्रश्नोत्तर के स्थान पर छात्रों के व्यावहारिक अनुभव पर मूल्यांकन होना चाहिए।
8. आधुनिक संसाधनों का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाना चाहिए।
9. योग की शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए।
10. शिक्षक छात्र अनुपात एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

MHRD (2001): Convention on the Right of the child. New Delhi

UNESCO (2005) : EFA Global Monitoring Report on Quality of Education Finance

NCERT (1970) Education and National Development –Report of the Education Commission (1964-66).New Delhi NCERT

Varghese,A.(2000):Education for the Third Millenium ,Indore: Satprachar Press,pp 250